जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 148 वीं बैठक दिनांक 10.05.2010 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 1, 5, 6 वननि (प्रोजेक्ट) द्वारा तथा एजेण्डा संख्या 2, 3, 4 वननि (बीपीसी) द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री पी. अरविंद, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री गिरिश पाराशर, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री सुभाष चन्द शर्मा, उप नगर नियोजक (एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
5. श्री प्रेम शंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–एल.पी.), जविप्रा जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–
एजेण्डा संख्याः–1
148 / 10.05.2010

विषयः–बीपीसी बीपीसी (ले आउट प्लान) 147 वीं बैठक दिनांक के 01.04.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि के सबंध में।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2
148 / 10.05.2010 (जोन–4)

विषयः–इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना चन्द्रकला बाल चन्द्र कॉलोनी के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस योजना में संबंधित भूखण्डधारी जयपुर विकास आयुक्त से मिले तथा उन्होंने अवगत कराया कि योजना मानचित्र में खसरा सुपरइम्पोज गलत हुआ है जिसके कारण प्रार्थियों के भूखण्ड खसरा बाउन्ड्री में बाहर दर्शा दिए है।

इसलिए निम्न बिन्दुओं की जांच उपायुक्त जोन द्वारा किए जाने तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. खसरा बाउण्ड्री सुपरइम्पोज पुनः करवायी जाकर सक्षम स्तर पर प्रमाणित की जावे।
2. इस योजना से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में वादों की वर्तमान स्थिति की जानकारी संबंधित जोन के उपायुक्त स्तर पर की जावे।
3. इस योजना से संबंधित विभिन्न थानों में दर्ज एफ.आई.आर. की स्थिति की जानकारी भी उपायुक्त के स्तर पर ली जावे।
4. अवाप्ताधीन योजना अनुमोदन करने के संबंध में समय–समय पर जारी राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत योजना अनुमोदन के संबंध में पूर्ण परीक्षण उपायुक्त के स्तर पर किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–3
148 / 10.05.2010 (जोन–5)

विषयः– हथरोई गढी गृ.नि.स.समिति की योजना महेश नगर–ए, के भूखण्ड संख्या 15 का संशोधित पट्टा जारी करने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सहकारी समिति द्वारा आगे के क्षेत्र 28'X23' क्षेत्र को मिलाते हुए साइट प्लान दिया गया था किन्तु प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र को छोडते हुए शेष भूखण्ड कों स्वीकृत किया गया था तदानुसार लीजडीड व साईट प्लान भी जारी किया गया था।

उपायुक्त जोन ने समिति को अवगत कराया कि मौके पर इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है किन्तु भूखण्ड संख्या एफ–14 की साइड में 3'–0'' चौडी नाली बनी हुई है समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि जिस साईड में नाली बनी हुई है उस साईड में 3'–0'' चौडाई की भूमि छोडते हुए शेष भूमि का नियमन इस शर्त पर किया जावे कि प्रार्थीनी इस भूमि पर कोई निर्माण नहीं करेंगी।

एजेण्डा संख्या–4
148 / 10.05.2010 (जोन–5)

विषयः– भूखण्ड संख्या 65 योजना सरती नगर की मौके की स्थिति के अनुसार अनुमोदित मानचित्र में संशोधन कराये जाने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त जोन ने समिति को अवगत कराया कि योजना में मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड संख्या 59 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 65 तथा भूखण्ड संख्या 65 के स्थान पर 59 है। भूखण्ड संख्या 65 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 59 व 60 की लीजडीड जारी की जा चुकी है। जबकि सहकारी समिति का आवंटन पत्र भूखण्ड संख्या 59 का ही है इसलिए भूखण्ड संख्या 59 को अधिक क्षेत्र की लीजडीड जारी की गई है। प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या 65 को वर्ष 2009 में खरीदा है। प्रार्थी को इस भूखण्ड के विवादित होने की जानकारी होने के पश्चात् भी इस भूखण्ड को खरीदा है इसलिए विचार विमर्श पश्चात् मौके पर स्थित भूखण्ड संख्या 65 की लीजडीड जारी न करने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

एजेण्डा संख्या–5
148 / 10.05.2010 (जोन–6)

विषयः–करतापुरा गृ.नि.स.समिति की योजना वनेविहार के भूखण्ड संख्या 14 को शिक्षण संस्थान के लिये आरक्षित भूमि से मुक्त करने बाबत्।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा को विचारा विमर्श किये जाने के पश्चात् प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–6
148 / 10.05.2010 (जोन–7)

विषयः–मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर के भूखण्ड संख्या सी–10 / 11 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा आवासीय योजनाओं के सुविधा क्षेत्र से भूखण्डों को मुक्त किये जाने के सबंध में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3( ) नविवि/03/07 दिनांक 24.12.07 में उल्लेखित चार शर्तों में से क्रम संख्या 1 की शर्त यथा ''प्रार्थी गृ.नि.स. समिति का मूल आवंटी या मूल आवंटी से रजिस्टर्ड क्रय कर्ता होना चाहिये'' की पूर्ति नहीं होने के कारण समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/प्रोजेक्ट/2010/डी– 151

दिनांक :– 20/5/10

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।